संख्या- 02/2022(834/22)3/3/35-आ0-2/2021-16

प्रेषक,

डा0 संजीव भारद्वाज

संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

निदेशक,

अर्थ एवं संख्या प्रभाग,

राज्य नियोजन संस्थान

लखनऊ।

राज्य योजना आयोग-2 लखनऊ:दिनांक: 25 अप्रैल,2022
(नियोजन विभाग)

विषय: मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 04 माह(अप्रैल से जूलाई) का लेखानुदान के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के व्यय हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 में निर्गत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये 04 माह (अप्रैल से जुलाई) का लेखानुदान के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 863.27 (रूपये- आठ करोड तिरसठ लाख सत्ताईस हजार मात्र) को नियोजन विभाग की अनुदान संख्या 40 लेखाशीर्ष "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें -101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

अनुदान संख्या 40 (धनराशि लाख रू0 में)

कोड सं0	मद नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत कुल आय-व्ययक	वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम 04 माह(अप्रैल से जुलाई) हेतु निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के निवर्तन पर रखे जाने हेतु जारी धनराशि
01	02	03	04
	04- मण्डल/जिलास्तर परनियोजन प्रक्रिया का विकेन्दीकरण	(राजस्व पक्ष)	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

01	वेतन	1750.00	583.33
03	महंगाई भत्ता	647.50	215.83
04	यात्रा व्यय	12.00	4.00
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6.00	-
06	अन्य भत्ते	12.00	4.00
07	मानदेय	1.00	-
08	कार्यालय व्यय	6.00	2.00
09	विद्युत देय	10.00	3.33
10	जलकर /जल प्रभार	0.50	-
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	8.00	2.67
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.50	1.50
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	8.00	2.67
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.30	0.77
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00	-
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफटवेयर का क्रय	2.50	0.83
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्संबंधीस्टेशनरी का क्रय	5.00	1.67
49	चिकित्सा व्यय	6.00	2.00
51	वर्दी	0.25	-
55	मकान किराया भत्ता	110.00	36.67
58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6.00	2.00
	योग	2599.55	863.27

(रूपये- आठ करोड तिरसठ लाख सत्ताईस हजार मात्र)

उक्त धनराशि निम्ननिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-3451सचिवालय आार्थिकसेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण के अर्न्तगत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

2- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिका आधार मिलान कार्यालय महालेखाकार,प्रयागराज, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजना अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29 मार्च 2022 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें है ।

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-02/2022(834/22)3/3/35-आ0-2/2021-16, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
4- वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड प्रयागराज ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त आय व्यय अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञापसंख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 के संबंध में ।
6- अनुभाग अधिकारी लेखा नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग ।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9- आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग ।
10- नियोजनअनुभाग-1
11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in